

# कैसे हो मिड-डे मील में सुधार

## मधु व भारत डोगरा

**ज**बसे बिहार में एक बहुत बड़ी त्रासदी में मिड-डे मील खाने से अनेक बच्चों की मृत्यु हुई है, तब से लगभग प्रतिदिन ही मीडिया में मिड-डे मील के दूषित होने या मिड-डे मील खाकर बच्चों के बीमार होने के समाचार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं हाल में अचानक बढ़ गई हैं। ऐसी वारदातें पहले भी इतनी ही होती थीं, पर बिहार की त्रासदी के बाद ऐसी घटनाओं को मीडिया में स्थान मिलने लगा।

मिड-डे मील के संदर्भ में यह खतरा भी सामने आया है कि स्कूल में बड़े पैमाने पर भोजन पकने से आग वगैरह लग सकती है। कुछ वर्ष पहले कुंभकोणम (तमिलनाडु) के ऐसे दर्दनाक हादसे में 90 स्कूली छात्रों की मृत्यु हो गई थी।

एक शिकायत यह है कि अध्यापकों को इसकी वजह से पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है और इसका शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है, हालांकि ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं कि कई जगहों पर मिड-डे मील के कारण स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है।

इन सभी शिकायतों को समुचित सुधार कर ठीक किया जा सकता है। यहां मिड-डे मील की एक वैकल्पिक व्यवस्था सुझाई जा रही है। यह वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने से अधिक रोजगार का सृजन होगा, जैविक किसानी को सहायता मिलेगी व आंगनवाड़ी या आईसीडीएस को भी बेहतर खाद्य उपलब्ध होंगे।

इस वैकल्पिक व्यवस्था में विभिन्न गांवों व बस्तियों में ऐसे महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया जाएगा जिनका कार्य सूखे पौष्टिक खाद्य उत्पाद तैयार करना है जो 3-4 दिन तक खराब न हों; जैसे गजक, लड्डू, बिस्कुट, मुरमुरे, भुने चने आदि। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे विविध तरह के खाद्य प्रचलित हैं और मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। बच्चे इन्हें शौक से खाते हैं।

इन खाद्यों को तैयार करने वाले स्व सहायता समूह को आरंभ में सरकार कुछ पूंजी उपलब्ध करवाएगी। साथ ही अच्छी रसोई बनवाकर देगी व रसोई में बर्तन आदि का इंतज़ाम करेगी व गैस कनेक्शन देगी। यह रसोई स्कूल में नहीं, पर स्कूल के पास होनी चाहिए।



ये स्व सहायता समूह उचित कीमत देकर स्थानीय या पास के जैविक किसानों से गेहूं, चावल, बाजरा, अन्य अनाज, दाल, तिलहन, गुड़, दूध, धी मसाले आदि कच्चा माल खरीदेंगे। इससे वे मिड-डे मील तथा आंगनवाड़ी के लिए ऐसी स्वादिष्ट व पौष्टिक सूखी खाद्य सामग्री तैयार करेंगे जो कम से कम 3-4 दिन तक खराब न हो।

स्व सहायता समूह की सदस्य ये सूखे खाद्य लेकर प्रतिदिन दो बार स्कूल जाएंगी - सुबह हाजरी के समय और आधी छुट्टी या टिफिन के समय। वे चखकर सूखे खाद्यों का वितरण करेंगी। अध्यापकों का कार्य केवल हस्ताक्षर करना होगा कि इतने बच्चों को वितरण हुआ। इस रसीद के आधार पर सब खाद्यों का भुगतान सरकार समय पर करेगी।

समय-समय पर यह समूह केले, संतरे जैसे फल भी किसानों या बाजार से प्राप्त करेगा जिन्हें सफाई से वितरित करना व खाना आसान हो।

स्व सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। ये समूह आंगनवाड़ी को भी पौष्टिक खाद्य आपूर्ति कर सकते हैं तथा अपने उत्पाद खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। निर्धन महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस तरह बहुत-सी महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा तथा साथ ही बेहतर गुणवत्ता का भोजन बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। (स्रोत फीचर्स)